

//1//

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :- देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :- 79/2023

उनवान

राजू पुत्र किशनलाल जाति जाट निवासी ग्राम दौराई, अजमेर
— वादी :- जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. अमरी पुत्री रामदेव जाति जाट,
2. ग्यारसीलाल पुत्र रामदेव जाति जाट,
3. हांसी पत्नी रामदेव जाति जाट,
4. नानू पुत्र रामधन जाति जाट,
5. संतोक पत्नी शिवदान जाति जाट,
6. किशनलाल पुत्र ज्वारा जाति जाट,
7. रामचन्द्र पुत्र ज्वारा जाति जाट नि ग्राम झवरकिया लोहरवाडा,
8. मैनेजर बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा लोहरवाडा तह नसीराबाद,
9. मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक शाखा सनोद तह नसीराबाद,
10. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

— प्रतिवादीगण :- 1 से 9 अनुपस्थित
10 जरियें राज0 पैरोकार



वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955

—: निर्णय :-

दिनांक :- 15/04/24

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम लोहरवाडा के खाता संख्या 1242/376 किता 16 रकबा 2.16, 1241/269 किता 8 रकबा 0.47 व 1024/1174 किता 3 रकबा 0.18 की आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की है। जिस पर वादी व प्रतिवादीगण का अलग-अलग हिस्सा निहित है। उक्त आराजी का आज दिनांक तक विभाजन नहीं हुआ है जिस कारण प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर दखलंदाजी कर रहे हैं। एवं अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है।



उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

अतः आराजी मुतनाजा का विभाजन किया जावे प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 9 प्रकरण में अनुपस्थित रहे।

अधिवक्ता वादी ने निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा वादी व प्रतिवादीगण की सह खातेदारी की है व वादी द्वारा मात्र विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। प्रकरण में खातेदारी उद्घोषणा नहीं चाही गयी है। राज0 पैरोकार ने प्रकरण में राजहित प्रभावित नहीं होने के कारण जवाब नहीं पेश करना जाहिर किया। प्रकरण में कोई खण्डन पेश नहीं होने से तनकी कायम नहीं की गयी।


अधिवक्ता वादी ने प्रकरण में कोई साक्ष्य नहीं पेश करना जाहिर किया।

बहस सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मन्न किया। आराजी मुतनाजा वादी व प्रतिवादीगण के नाम सह खातेदारी दर्ज है। उक्त आराजी का विभाजन नहीं हुआ है। प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे हैं। राज0 पैरोकार ने जवाब नहीं पेश किया है। वादी द्वारा मात्र विभाजन का अनुतोष चाहा है। आराजी मुतनाजा के विभाजन से प्रतिवादीगण के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रतिवादीगण अपनी आपत्ति विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय पेश कर सकते हैं। वादी विभाजन प्राप्ति का अधिकारी है।

अतः ग्राम लोहरवाडा के खाता संख्या 1242/376 किता 16 रकबा 2.16, 1241/269 किता 8 रकबा 0.47 व 1024/1174 किता 3 रकबा 0.18 की आराजी पर वादी का वाद "स्वीकार" किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद वादी व प्रतिवादीगण की विधिवत उपस्थिति में आराजी मुतनाजा का बाई मीटस एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव समस्त सह खातेदारों के मध्य तैयार कर इस न्यायालय में पेश करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करें। इस आशय की प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

प्राथमिक डिकी व मुकदमे इत्दाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

राजू बनाम अमरी

दावा बाबत :- 53, 88, 188 राज. का. अधि० 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर - 79/2023

पेश करने की दिनांक - 23.5.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)-व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई अभिभाषक राज० पैरोकार गिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि :-

ग्राम लोहरवाडा के खाता संख्या 1242/376 किता 16 रकबा 2.16, 1241/269 किता 8 रकबा 0.47 व 1024/1174 किता 3 रकबा 0.18 की आराजी पर वादी का वाद "स्वीकार" किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद वादी व प्रतिवादीगण की विधिवत उपस्थिति में आराजी मुतनाजा का बाई मीटस एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव समस्त सह खातेदारों के मध्य तैयार कर इस न्यायालय में पेश करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करें।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमे में मय सूद व शरह तक----- को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 15 माह 05 सन् 2024 को जारी की गयी।

मुद्दई

मुदायला

स्टाम्प अरजी दावा
स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वजह सबूत
महनताना वकील
फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान
वायत इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प अरजी
मेहनताना वकील
खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर
वायत इजराय हुक्मनामा
मुतफरिक

मिजान

मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद